



प्रेस – नोट

थाना- को0 अकबरपुर जनपद- अम्बेडकरनगर

दिनांक 09.06.2026

चेन स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण, तीन अभियुक्त गिरफ्तार, ₹21,000 बरामद

जनपद अम्बेडकरनगर में पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री प्राची सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री हरेन्द्र कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितीश कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली अकबरपुर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 09.06.2026 को उपनिरीक्षक राम प्रताप वर्मा मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली अकबरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-362/2026 धारा 309(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित तीन अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहितीपुर-अन्नावा मार्ग स्थित रिडचीनगर मोड़ के पास खड़े हैं तथा कहीं जाने की फिराक में हैं।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा तीनों अभियुक्तों को बिना कोई अवसर दिए गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल ₹21,000 नकद बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि दिनांक 08.06.2026 को शाम लगभग 07:30 बजे पहितीपुर-बन्दनडीह मार्ग पर स्कूटी से जा रही महिलाओं से सोने की चेन छीन ली थी। छीनी गई चेन को उन्होंने कम कीमत पर राह चलते एक व्यक्ति को बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया था। बरामद नकदी उसी चेन बिक्री की धनराशि है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0—

गोलू राना उर्फ राजन पुत्र पतिराम उम्र 24 वर्ष नि0ग्राम भवानीपुर थाना-कोतवाली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर
राज करन उर्फ करिया पुत्र मुनीराम उम्र 22 वर्ष की नि0 ग्राम पीठापुर सरैया थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर
राहुल तिवारी पुत्र राम केवल तिवारी उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खरगपुर थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर

आपराधिक इतिहास-

गोलू राना उर्फ राजन पुत्र पतिराम उम्र 24 वर्ष नि0ग्राम भवानीपुर थाना-कोतवाली अकबरपुर जनपद अंबेडकर नगर

- 1-मु0अ0सं0-643/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना को0 अकबरपुर
- 2-मु0अ0सं0-06/24 धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट थाना को0 अकबरपुर
- 3-मु0अ0सं0-362/26 धारा 309(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर
- 4-मु0अ0सं0-417/14 धारा 115(2)/325/351(3)/140(2) बीएनएस व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट थाना बसखारी

राहुल तिवारी पुत्र रामकेवल तिवारी नि0 खरगपुर थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

- 1-मु0अ0सं0-504/19 धारा 323/352/504 भादवि थाना को0 अकबरपुर
- 2-मु0अ0सं0-643/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना को0 अकबरपुर
- 3-मु0अ0सं0-362/26 धारा 309(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर

राजकरन पुत्र मुनीराम नि0 पीठापुर सरैया थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

- 1-मु0अ0सं0-175/22 धारा 379/411 भादवि थाना भीटी
- 2-मु0अ0सं0-202/25 धारा 317(2)/317(5)/331(4)/305 भीएनएस
- 3-मु0अ0सं0-362/26 धारा 309(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 अकबरपुर

बरामदगी का विवरण—

गोलू राना उर्फ राजन पुत्र पतिराम – 7300 रु०

राज करन उर्फ करिया पुत्र मुनीराम –6700 रु०

राहुल तिवारी पुत्र राम केवल तिवारी –7000 रु०

गिरफ्तारी स्थान— रिडचीनगर मोड

● **गिरफ्तारी दिनांक –09.06.2026 समय– 01.20 बजे**

● **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ०नि० राम प्रताप वर्मा

का० तन्मय तिवारी

का० प्रेम कुमार यादव

रि० का० शुभ सिंह गौर

रि० का० धनंजय त्रिपाठी

रि० का० अभिषेक कुमार